

**झारखण्ड सरकार**  
**झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,**  
 कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची-834010.  
**e-mail- jharkhand\_ssc@rediffmail.com**  
**विज्ञापन संख्या- 18 / 2016**

**डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा- 2016**

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-6239 (अनु0) दिनांक-20.07.2016 के द्वारा अग्रसारित परिवहन विभाग विभाग के पत्रांक-731 दिनांक-27.06.2016 तथा खान तथा भूतत्व विभाग के पत्र संख्या-25 दिनांक-07.01.2015 तथा पत्रांक 2681 दिनांक 16.12.2015 द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में मोटरयान निरीक्षक एवं खान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 के लिये ऑन-लाईन (Online) आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उम्मीदवार अहर्ता अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑन-लाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाइट- **www.jssc.in** पर लॉगईन करके समर्पित किया जा सकता है।

2. रिक्तियों का विवरण :-

क्रम सं0	सेवा का नाम विभाग का नाम	पदनाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या				
				कुल रिक्ति	कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण			
					महिला	कम दृष्टि	मूक बाधिर	शारीरिक विकलांग एवं सेरेब्रल पालसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा (उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग)	खान निरीक्षक	1.अनारक्षित/सामान्य	16	00	00	00	00
			2.अनुसूचित जनजाति	08				
			3.अनुसूचित जाति	03				
			4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)	02				
			5.पिछड़ा वर्ग (अनुसूची -2)	02				
		<b>योग :-</b>	<b>31</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	
2	झारखण्ड अवर मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (परिवहन विभाग)	मोटरयान निरीक्षक	1.अनारक्षित/सामान्य	07	01	00	00	00
			2.अनुसूचित जनजाति	03				
			3.अनुसूचित जाति	02				
			4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)	01				
			5.पिछड़ा वर्ग (अनुसूची -2)	01				
				<b>योग :-</b>				
<b>सकल योग-</b>				<b>45</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

3. इस विज्ञापन के साथ मोटरयान निरीक्षक की बैकलॉग रिक्तियों के लिए अलग से विज्ञापन संख्या- 19/2016 प्रकाशित किया गया है, जिसमें कुल रिक्ति 04 है। विज्ञापन संख्या- 18/2016 एवं 19/2016 दोनों के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी एक साथ एक ही आवेदन कर सकेंगे और इस आशय का विकल्प ऑन लाईन आवेदन भरने में उपलब्ध रहेगा। दोनों विज्ञापनों के लिए आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देय होगा। यदि कोई अभ्यर्थी सिर्फ एक विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन समर्पित करते हैं वैसी स्थिति में भी उन्हें एक परीक्षा शुल्क देना होगा।

इन दोनों विज्ञापनों के लिए एक ही परीक्षा "डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016" आयोजित की जायेगी।

4. कंडिका- 2 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् है:-

क्रम सं०	पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4
1	खान निरीक्षक	वेतन बैंड पी0बी0II- रू0 9300-34800 ग्रेड वेतन- रू0 4200	ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नीकल एजुकेशन) अथवा झारखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से खनन अभियंत्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा। उच्च तकनीकी योग्यता धारी भी आवेदन के पात्र होंगे।
2	मोटरयान निरीक्षक	वेतन बैंड पी0बी0I- रू0 9300-34800 ग्रेड वेतन- रू0 4200	(क) झारखण्ड विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित परीक्षा में विज्ञान के साथ मैट्रिक या सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड/पर्वद की समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता। (ख) ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नीकल एजुकेशन) अथवा झारखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑटो मोबाईल अथवा यांत्रिक अभियंत्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा। उच्च तकनीकी योग्यता धारी भी आवेदन के पात्र होंगे।

4.1 अनुभव :- मोटरयान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित करने वालों के लिए ऑटो मोबाईल अथवा यांत्रिक अभियंत्रण में 03 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात डीजल एवं पेट्रोल दोनों प्रकार के इंजनों से युक्त हल्के, भारी मालवाहक, यात्री वाहन के मरम्मत कार्य में संलग्न फ़ैक्ट्री एक्ट के तहत निबंधित किसी वृहत ऑटो मोबाईल अभियंत्रण कर्मशाला में मरम्मत, ओभर होलिंग एवं निरीक्षण का न्यूनतम 03 वर्षों का व्यवहारिक कार्य अनुभव।

4.2 अन्य :- मोटरयान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के आवेदकों के पास मोटर साईकिल, भारी मालवाहक एवं भारी यात्री मोटर वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। इस पद के

विरुद्ध आवेदन पत्र के विहित स्तम्भ में वैध लाइसेंस संख्या उसके निर्गम की तिथि तथा उसे जारी करने वाले प्राधिकार की सूचना दर्ज करने की अपेक्षा आवेदकों से की जाती है।

**5. पद के लिए विकल्प:-** अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में डिप्लोमा के विषय एवं अन्य अहर्ता के अनुसार पद का विकल्प दिया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र में दिया गया विकल्प अंतिम होगा तथा इसमें संशोधन मान्य नहीं होगा।

शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए **online** आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (**Reference Date**) माना जायेगा।

**6. आयु सीमा:-**(क) उम्र की गणना दिनांक— 01.08.2016 के आधार पर की जायेगी।

(ख) उम्र की गणना हेतु मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी।

1. न्यूनतम उम्र – (क) खान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु 18 वर्ष ।  
(ख) मोटरयान निरीक्षक के पद नियुक्ति हेतु 21 वर्ष ।

2. अधिकतम उम्र :-

(क) अनारक्षित/सामान्य— 35 वर्ष।

(ख) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची— 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—2)— 37 वर्ष।

(ग) महिला (अनारक्षित, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची— 2)— 38 वर्ष।

(घ) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरुष एवं महिला)— 40 वर्ष

**7. आरक्षण:-**

**(I)** आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

**(II)** आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को ही देय होगा। झारखण्ड राज्य के बाहर के सभी उम्मीदवार अनारक्षित/सामान्य वर्ग के माने जायेंगे।

**(III)** झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे।

आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार को निम्न प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा प्रमाण-पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा:-

**(i)** जाति प्रमाण पत्र— जिला/अनुमंडल के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी से विहित-प्रपत्र में अद्यतन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र।

**(ii)** अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची-1 तथा पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 के लिए दिनांक— 31.03.2013 के पश्चात् निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

- (iii) जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा करने की स्थिति में संबंधित कॉलम के नीचे एक ड्राप बॉक्स खुलेगा जिसमें आवेदक अपने जाति प्रमाण पत्र की संख्या, तिथि तथा उसे निर्गत करने वाले प्राधिकार का पदनाम अंकित करेंगे।

जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र विवरणिका के परिशिष्ट— I एवं II के रूप में संलग्न है। सक्षम स्तर से भिन्न तथा विवरणिका के साथ संलग्न प्रपत्र से भिन्न किसी प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के साथ संलग्न प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में तथा जाति प्रमाण पत्रों की गलत संख्या/तिथि उसे जारी करने वाले प्राधिकार का पदनाम अंकित करने वाले आवेदकों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा जिसके लिए संबंधित आवेदक ही उत्तरदायी होंगे।

8. **स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र** :- झारखण्ड राज्य के महिला स्थानीय निवासियों के द्वारा क्षेत्रीय आरक्षण के दावे के समर्थन में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र सं०-4650, दिनांक 02.06.2016 द्वारा विहित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक-02.06.2016 अथवा इसके उपरांत जारी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र की प्रविष्टि आवेदन पत्र में संबंधित आवेदकों द्वारा की जायेगी। प्रमाण पत्र का मानक प्रारूप परिशिष्ट - III के रूप में विवरणिका में संलग्न है।
9. **आवेदन पत्र समर्पित करने की अवधि**— आयोग के वेबसाईट [www.jssc.in](http://www.jssc.in) पर जाएँ एवं Online Application for **DSCCE-2016** पर Click करें तथा आवेदन पत्र भरें। आवेदन पत्र भरने के क्रम में नियुक्ति हेतु पद का विकल्प अपनी शैक्षणिक योग्यतानुसार देना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र का लिंक दिनांक 01.11.2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न से उपलब्ध होगा तथा आवेदन को भेजने (Submit) करने की अन्तिम तिथि दिनांक 30.11.2016 संध्या 5.00 बजे तक है। इस अवधि के बाद ऑन-लाईन आवेदन का लिंक बंद कर दिया जायेगा। आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन Submit करने के पूर्व भरे गये आवेदन को ठीक से देख लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार कर ही आवेदन Submit करें। एक बार आवेदन Submit करने के पश्चात् वैसी कोई भी प्रविष्टियाँ, जो परीक्षाफल को प्रभावित करती है, में कोई बदलाव/सुधार का दावा मान्य नहीं किया जायेगा।

#### 10.परीक्षा का स्वरूप:-

10.1 परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :- संसूचित रिक्ति से अभ्यर्थियों की संख्या 15 गुणा से अधिक होने अथवा अभ्यर्थियों की कुल संख्या 15 हजार या अधिक (इनमें से जो अधिक हो) होने पर परीक्षा निम्नलिखित दो चरणों में ली जायेगी -

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

दोनों परीक्षाओं में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिए जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी। परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी। अभ्यर्थियों की संख्या 15 हजार से कम होने की स्थिति में सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थियों को

यथास्थिति प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा के सभी पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक होगा। किसी पत्र की परीक्षा में अनुपस्थित होने पर संबंधित अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जायेगा।

**10.2 परीक्षा का पाठ्यक्रम:**— प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम विवरणिका में अंकित है जिसे आयोग की वेबसाईट [www.jssc.in](http://www.jssc.in) पर देखा जा सकता है।

**11. परीक्षा शुल्क:**—

11.1 परीक्षा शुल्क रू0 500 (पांच सौ रूपये) है।

11.2 परीक्षा शुल्क में छूट:— झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0 125 (एक सौ पच्चीस रूपये) है रियायती शुल्क पर झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थी ही online आवेदन पत्र भर सकते हैं। इससे भिन्न कोटि के अभ्यर्थी अथवा झारखण्ड राज्य से बाहर के निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी को रियायती शुल्क पर आवेदन देना अनुमान्य नहीं है। ऐसे कोई अभ्यर्थी यदि रियायती शुल्क भुगतान कर आवेदन पत्र समर्पित करते हैं तो उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जा सकती है। परीक्षा शुल्क भुगतान किये बिना आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे तथा परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non refundable) है। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। विस्तृत सूचना विवरणिका में अंकित है।

12. अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आवेदन भरने के पूर्व आयोग के वेबसाईट [www.jssc.in](http://www.jssc.in) पर उपलब्ध इस परीक्षा की विवरणिका को अवश्य देख लें।

ह0/—  
परीक्षा नियंत्रक।